

दिनांक 09, अगस्त, 2017 को सायं 06:00 बजे मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश (एम.सी.यू.पी.), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन (F.I.E.O.), ई-कॉमर्स कम्पनी अमेजॉन (Amazon) के संयुक्त तत्वाधान में “आयात-निर्यात व E-कॉमर्स पर GST का प्रभाव” पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।

श्री बी.के. लाहोटी, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश (एम.सी.यू.पी.), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन (F.I.E.O.), ई-कॉमर्स कम्पनी अमेजॉन (Amazon) की ओर से उपस्थित आयातक-निर्यातक बंधुओं का स्वागत किया। श्री लाहोटी जी ने आयातक व निर्यातक बंधुओं को सूचित करते हुए कहा कि DGFT व GST विभाग से आये हुए अधिकारीगण आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आमंत्रित किये गए हैं तथा ई-कॉमर्स की जानकारी के लिए ई-कॉमर्स Amazon के प्रतिनिधि हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। श्री लाहोटी ने कहा कि अभी भी GST के रिटर्न सम्बंधित प्रावधान को लेकर कुछ भ्रान्तिया हैं, जिसे दूर किये जाने की आवश्यकता है।

श्री सुमित स्वप्निल, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक (Sr. Manager), अमेजॉन (Amazon), ने बताया कि ई-कॉमर्स व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में कई एजेंसियां आयात-निर्यात एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजार में मार्केटिंग की सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। उन्होंने सूचित किया कि AMAZON ई-कॉमर्स कि एक बहुपयोगी एजेंसी है जिसके द्वारा दक्षिणी एशिया मूलतः हिन्दुस्तान से विभिन्न प्रकार के सामानों का निर्यात किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से AMAZON निर्यातकों को पंजीकृत कर उनके सामानों को USA व यूरोप के देशों में निर्यात हो रहा है। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों से साबित होता है कि वर्ष 2015-16 एवं 2014-15 के सापेक्ष 25% कि बढ़ोत्तरी दर्ज हुयी। USA में Black Friday, December के आखिरी Friday को बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है, जिसमें हर सामान वहां के खरीददारों को 50% छूट या अधिक पर प्राप्त होता है वर्ष 2016-17 में ब्लैक फ्राइडे पर लगभग 10 बिलियन US \$ की बिक्री हुयी। उसी प्रकार साईबर मंडे जो कि November में होता है, विगत वर्ष 4 बिलियन US \$ की बिक्री रही। इसमें एक बड़े हिस्से का निर्यात Amazon ने किया है।

श्री संदीप बाली, अधीक्षक, CGST विभाग, ने GST के सम्बन्ध में बताया कि GST में 20 लाख से उपसे के व्यापारियों के पंजीकरण का प्रावधान है, जसमें व्यापारियों को GSTN पोर्टल पर उनके द्वारा सप्लाई की जा रही वास्तु अथवा सेवा का वर्णन देना अनिवार्य है। एक से अधिक व्यापा होने की स्थिति में सभी सम्बंधित व्यापार की जानकारी देना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले ओपनिंग बैलेंस पर ITC मिलने का भी प्रावधान है।

श्री डी.टी. पराटे, उप निदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, ने विदेश व्यापार निति से सम्बंधित प्रावधानों पर सूचित किया कि कानपुर में विदेश व्यापार विभाग का कार्यलय काकादेव में है, जो प्रत्येक व्यापारी की आयात-निर्यात से सम्बंधित समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध है। श्री पराटे ने बताया कि विदेश व्यापार विभाग की वेबसाइट का एड्रेस www.dgft.gov.in है। उन्होंने सूचित किया पूर्व में I.E.C. कोड 10 अंकों का होता था, जो कि जी.एस.टी. कानून के क्रियान्वन के दिन (1 जुलाई 2017) से उनका पैन नं ही उनका I.E.C. नं होगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पूर्व की भांति ही किये जायंगे। 1 जुलाई 2017 के पहले एडवांस औथराइजेशन में इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपेन्ट (Expent) थी, जो कि GST आने के बाद केवल B.C.D. (Basic CustomDuty) ही एक्सपेन्ट होगी तथा निर्यातको-आयातकों को I.G.S.T. देना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि विदेश मिड-टर्म नई विदेश व्यापार निति (2015-20) की घोशणा 30 सितम्बर 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा की जा सकती है।

श्री वाई.एस.गर्ग, सलाहकार, F.I.E.O. ने उपस्थित सभी व्यापारिक बंधुओं को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन के क्रिया-कलापों के बारे में अवगत कराया तथा उन्होंने वेबसाइट का एड्रेस www.fieo.org के बारे में बताते हुए कहा कि आयात-निर्यात संबंधी सूचनाओं के लिए उपरोक्तलिखित वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं।

गोष्ठी का संचालन श्री अलोक श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर, F.I.E.O. द्वारा किया गया तथा धन्यवाद-प्रस्ताव श्री विजय शुक्ला, सहायक निदेशक, F.F.D.C., द्वारा प्रस्तुत किया गया।

गोष्ठी में उपस्थित गणमान्य: उक्त प्रशिक्षण सत्र में सी.एस. - आर.के. श्रीवास्तव, श्री लक्छमी कोटसिन, सुपर हाउस के प्रतिनिधिगण, श्रीए.के. सिन्हा, सचिव- एम.सी.यू.पी., F.I.E.O. तथा एम.सी.यू.पी. के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कानपुर की अन्य व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण तथा अमेजॉन कम्पनी के अधिकारीगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश